न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/61)

निर्णय दिनांकः– 17.11.2023

1. बेगाराम पुत्र स्व. सुखाराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 04 तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. रावताराम पुत्र स्व. सुखाराम जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 04 तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः
1. श्री राजेश कुमार व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2016 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रकबा वाके चक 12 व 13 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 67/21 में तादादी 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता सुखाराम को आवंटन हुई थी। उनके मरने के बाद उनके वारिसान उक्त भूमि पर काबिज रहे है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन है कि इस भूमि पर अवैध रुप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से खनन जिप्सम का हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दी है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 175 व 177 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष का यह दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 26–10–2016 को हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता के विरुद्व वाद पेश किया जिस पर वारिसान पर तामील ही नहीं कराई। अधीनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के विरुद्व वाद पेश किया गया जो चलने योग्य ही नही था। इसलिए अपीलाधीन डिक्री नलटी की श्रेणी में आती है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता की खातेदारी केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलांट की खातेदारी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर समाप्त की है। तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में खनन होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियां कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है किन्तु अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उसके विरुद्व इकतरफा कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांट के पिता को नोटिस जारी किये। परन्तु अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 26–10–2016 को हो चुका था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक मृतक व्यक्ति के विरुद्व डिक्री पारित कर दी जो प्रारम्भ से नलटी की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है।

उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 175 व 177 का था जिसमें प्रतिवादी जो दिनांक 26–10–2016 को ही फौत हो चुका था उसके वारिसान को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में महावीर काश्तकार के प्रार्थना पत्र पर बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो मरे हुए व्यक्ति के विरुद्व होने से नलटी की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गंया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 26.12.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का निस्तारण करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर